यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा** के माह 05/2013 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रवि शंकर सहायक, लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री खुशी राम, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 24.05.2018 से 28.05.2018 तक श्री दानिश इकबाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राज बहादुर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सलीम खान, वरिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा 05.06.2013 से 10.06.2013 तक श्री डी.के. पिपलानी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था, जिसमें माह 06/2008 से 04/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2013 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार

3. अ- **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महिला चिकित्सालय अल्मोड़ा,** मे NHM एक योजना है जो महिलाओ के गर्भधारण व स्वास्थ्य तथा नवजात बच्चो की सुरक्षा व स्वास्थ्य से संबन्धित है।

ब- **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महिला चिकित्सालय अल्मोड़ा,** इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण जिला **अल्मोड़ा** है।

अ-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रू० लाख)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+) गैर स्थापना**	**बचत (-) (समर्पण) (स्थापना)**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	00	16.26	310.15	310.15	32.00	28.08	22.75	00
2016-17	00	22.75	343.91	312.64	30.00	24.48	30.55	31.27
2017-18 Up to Feb. 2017	00	30.55	425.07	402.05	25.00	26.45	32.03	23.02

नोट-गैर स्थापना मद मे प्राप्ति/व्यय के अंतर्गत राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान एवं यूजर चार्जेज से संबन्धित धनराशि भी शामिल है।

ब- केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख मे)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**अधिक्य (+)**	**बचत (-)**
2015-16	एनएचएम	18.40	35.85	40.48	00	13.77
2016-17	एनएचएम	14.80	56.25	51.02	00	20.03
2017-02/2018	एनएचएम	5.31	41.12	43.15	00	3.28

(ii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्त्रोत राज्य सरकार व केंद्र सरकार है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. स्वास्थ्य सचिव 2.महानिदेशक 3. निदेशक 4 मुख्य चिकित्साधिकारी 5 चिकित्सा अधीक्षक।
2. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महिला चिकित्सालय अल्मोड़ा,** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महिला चिकित्सालय अल्मोड़ा,** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 05/2013 से 04/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।
3. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के) कर्तव्य ,शक्तियां तथा सेवा की शर्ते (अधिनियम) 1971 ,डी पी सी एक्ट , (1971 की धारा,13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर: 1- जिला महिला चिकित्सालय अल्मोड़ा मे ₹ 491500.00 मूल्य के उपकरण का अनुपयोगी रहना तथा उक्त उपकरण खराब रहने के कारण रोगियों को कठिनाई होना।

कार्यालय अध्यक्ष का दायितत्व होता है कि कार्यालय मे उपलब्ध डेड स्टाक का वर्ष मे कम से कम एक बार भौतिक सत्यापन कराये तथा अनुपयोगी वस्तुओं, उकरणों एवं सयन्त्रों का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करे जिससे कि अनुपयोगी/निष्प्रोज्य वस्तुओं के ह्रास व हानि से बचा जा सके। चिकित्सकीय उपकरणो के निष्प्रोज्य होने के स्थिति मे तत्काल उनका पुनर्स्थापन किया जाना चाहिए जिससे कि रोगियों को कठिनाइयों से बचाया जा सके।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा के 05/2013 से 04/2018 तक क्रय किए गए अथवा स्वास्थ निदेशालय से प्राप्त उपकरण से सम्बन्धित अभिलेखो की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि जिला महिला चिकित्सालय अल्मोड़ा मे ₹ 491500.00 के मूल्य के उपकरण अनुपयोगी पड़े हुए थे। जिसका विवरण निमन्वत था-

1	2	3	4	5	6
क्र0 सं0	**उकरण का नाम**	**विभाग**	**स्थापित होने कि तिथि**	**मूल्य**	**अनुपयोगी होने की तिथि**
1	Pulse Oximeter	OT	21/03/2009	45000	11-09-2014
2	FOETAL DOPPLER	Pathology Dept.	-	5000	11-09-2016
3	FOETAL DOPPLER	LR	25/03/2010	5000	11-09-2016
4	FOETAL DOPPLER	LR	-	5000	25-06-2016
5	B.P Instrument	OPD	-	1000	01-04-2015
6	B.P Instrument	EMERGENCY	12/12/2004	1000	01-04-2015
7	B.P Instrument	EMERGENCY	24/07/2004	1000	01-04-2015
8	B.P Instrument	EMERGENCY	12/12/2004	1000	01-04-2015
9	B.P Instrument	EMERGENCY	24/07/2004	1000	01-04-2015
10	VERTICAL AUTOCLAVE	STORE	-	45000	03-03-2014
11	Radiant Baby Warmer	EMERGENCY	-	60000	06-11-2015
12	Radiant Baby Warmer	EMERGENCY	15/04/2010	60000	06-11-2015
13	Radiant Baby Warmer	EMERGENCY	15/04/2010	60000	06-11-2015

14	Phototherapy Machine	EMERGENCY	-	35000	12-01-2014
15	Phototherapy Machine	EMERGENCY	-	35000	12-01-2014
16	Phototherapy Machine	EMERGENCY	-	35000	12-01-2014
17	OXYGEN CONCENTRATOR	EMERGENCY	01/03/2013	45000	27-02-2017
18	OXYGEN CONCENTRATOR	EMERGENCY	01/03/2013	45000	27-02-2017
19	SUCTION MACHINE	STORE	-	6500	12-02-2017
				491500	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जिला महिला चिकित्सालय अल्मोड़ा मे ₹ 491500.00 के मूल्य के उपकरण अनुपयोगी पड़े हुए थे जिनको न तो ठीक कराया गया और न ही निष्प्रोज्य घोषित किया गया, परिणाम स्वरूप अनुपयोगी उपकरण का दिन प्रति दिन ह्रास हो रहा था। तथा उक्त उपकरणो के अनुपयोगी होने के कारण रोगियों को होने वाली कठिनाइयों से इंकार नहीं किया जा सकता, जो कि विभागीय उदासीनता का परिचायक था।

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि टेक्नोलोजिस्ट की रिपोर्ट के आधार पर जो उपकरण निष्प्रोजय घोषित होने योग्य होंगे, उन्हे निष्प्रोजय घोषित किए जाने की कार्यवाही की जायेगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उक्त उपकरणो मे से अधिकांश उपकरण विगत दो वर्षो से अधिक समय से अनुपयोगी थे जिसको ठीक कराये जाने की कार्यवाही नहीं की गयी थी, उपकरणो के खराब रहने की स्थिति मे रोगियों को कठिनाई होने के संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

जिला महिला चिकित्सालय अल्मोड़ा मे ₹ 491500.00 मूल्य के उपकरण का अनुपयोगी रहना तथा उक्त उपकरण खराब रहने के कारण रोगियों को कठिनाई होने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर: 1 - ₹ 42.19 लाख की धनराशि की रोकड़ बही मे प्रविष्टि न करना।

शासन के पत्रांक सं०- 3 / xxvii(6) / 2013 दिनांक 02 जनवरी 2013 बिंदु संख्या 4.9 में ई-पेमेंट प्रणाली में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार 'आहरण एवं संवितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बंधित बैंक खातें में अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बंधित अभिलेखों - यथा 11सी पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे।

कार्यालय की रोकड़-बही की नमूना जाँच में पाया गया कि विस्तृत जांच हेतु चयनित माह 03/2015 मे ट्रेजरी द्वारा प्राप्त **Form BM- 5** के कुल **₹ 42,19,353/-** की आहरित सकल धनराशि (Gross Amount) को रोकड़-बही में नहीं दर्शाया गया था जो कि शासन आदेश के विपरीत है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यो एवं आंकड़ो की पुष्टि तथा अपने उत्तर मे बताया कि भविष्य के लिए नोट कर लिया है। इस प्रकार इकाई का उत्तर स्वत: लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

अत: ₹ 42.19 लाख की धनराशि की रोकड़ बही मे प्रविष्टि नहीं करने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग -III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
21/2013-14	शून्य	शून्य	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
21/2013-14	----------	प्रस्तुत --------	इकाई के उत्तर के आलोक में प्रस्तर का निस्तारण किया गया।	

भाग -VI

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

---------------------शून्य------------------------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महिला चिकित्सालय अल्मोड़ा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महिला चिकित्सालय अल्मोड़ा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
3. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   शून्य

4. **सतत् अनियमितताए**

(i) शून्य

5. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वाटूलरा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	नाम	पद नाम	अवधि
1	डा॰ इन्दु पुनेठा	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	25.12.2011 से 30.11.2015 तक
2	डा॰ निशा पांडे	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	01.02.2015 से 08.08.2017 तक
3	डा॰ दीपक गबर्याल	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	05-2015 से 09.09.2015

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महिला चिकित्सालय अल्मोड़ा** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि वह इस पत्र की अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र कार्यालय महालेखाकर (लेखा परीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकर भवन, कौलगढ़ रोड देहारादून को प्रेषित कर दे।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.